

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:ई- 32/लूज/सेवानिवृत्त/स्वा.निरी./2024/ दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारी द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्यान्ह पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्त दिनांक
1	श्री अजय कुमार शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर	15-08-1964	05.01.1987	31.08.2024

- यह प्रमाणित किया जाता है कि क्र.सं 01 पर अंकित कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक:-
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:ई- 32/लूज/सेवानिवृत्त/स्वा.निरी./2024/ 33
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन- जयपुर राजस्थान को भिजवाकर लेख है कि भविष्य में कार्मिकों द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त प्रकरण निदेशालय को 1 वर्ष पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रशासनिक अधिकारी, डी.पी.सी/टी.सी (अराजपत्रित), अनुभाग।
- संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयों के विरुद्ध यदि कोई ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

RajKaj Ref
5393012

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval
Designation: Director
Date :25-01-2024 06:49:06